प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.09.2024

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.09.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त 1. सलीम उर्फ मोटा पुत्र शाहबुद्दीन 2. आरिफ उर्फ काला पुत्र शाहबुद्दीन 3. कासिम पुत्र शाहबुद्दीन निवासीगण म0न0 415 मैन रोड डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को लाल बाग ठेके के पीछे किकडो के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तों का विवरण/पूर्व की कार्यवाही

अभियुक्तों द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी व कूट रचना कर जमीन का फर्जी पावर आफ अटार्नी बनवाना व लोगों से पैसे हड़प लेना व पैसे वापस मांगने पर गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना अंकुर विहार पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. सलीम उर्फ मोटा पुत्र शाहबुद्दीन निवासी म0न0 415 मैन रोड डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र 39 वर्ष
2. आरिफ उर्फ काला पुत्र शाहबुद्दीन निवासी म0न0 415 मैन रोड डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र 30 वर्ष
3. कासिम पुत्र शाहबुद्दीन निवासी म0न0 415 मैन रोड डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र 32 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त सलीम उर्फ मोटा व आरिफ उर्फ काला उपरोक्त पर पूर्व में थाना अंकुर विहार व थाना लोनी पर 01-01 धोखाधड़ी के अभियोग तथा अभियुक्त कासिम उपरोक्त पर पूर्व में थाना लोनी पर 01 धोखाधडी का अभियोग पंजीकृत है तथा तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा रमते राम रोड पर हुई घटना से सम्बन्धित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 12.09.2024 को रमते राम रोड पर 02 अज्ञात मोटर साईकिल सवार युवको द्वारा वैगनार गाडी चालक को रोककर यह कहते हुए कि तुम मेरी गाडी का एक्सप्रेस मार्किट के पास एक्सीडेन्ट करके आये हो , मारपीट व गाली गलौच की गयी तथा उसी दौरान अन्य 8-10 अज्ञात युवक और मौके पर आ गये जिनके द्वारा भी वैगनार चालक के साथ दुर्व्यवहार किया गया था तथा उक्त घटना के सम्बन्ध मे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था । उक्त सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर पर वैगनार चालक द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर 02 मोटर साईकिल सवार बाबी व राकेश तथा अन्य 8-10 अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु टीमे गठित की गई ।

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये अभियोग मे नामित 02 मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । अन्य अज्ञात की तलाश जारी है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- बाबी पुत्र राकेश निवासी म0न0 55 पक्का तालाब डासना गेट थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष ।
2- मंथन उर्फ मंगल पुत्र अमित निवासी म0न0 45 पक्का तालाब डासना गेट थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- दिनांक 29.08.2024 को वादिया ने थाना कविनगर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अनिकेत गौड द्वारा वादिया को अपने घर बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर वादिया के साथ दुष्कर्म करना व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना । जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण:- घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी । घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.09.2024 को अभियुक्त अनिकेत गौड पुत्र सुरेश चन्द निवासी 121 सै0-10 चिरंजीव विहार थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम रसूलपुर थाना चोला जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 31 वर्ष को म0न- 121 गली न0- 02 चिरंजीव विहार अवंतिका से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-गिरफ्तार अभियुक्त अनिकेत गौड उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि अभियुक्त के वादिया से पारिवारिक सम्बन्ध थे बार - बार पूछने पर भी अभियुक्त मौन हो गया।

अभियुक्त का नाम पता-

अनिकेत गौड पुत्र सुरेश चन्द निवासी 121 सै0-10 चिरंजीव विहार थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम रसूलपुर थाना चोला जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 31 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

थाना कविनगर पुलिस टीम जनपद गाजियाबाद

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा बंधक बनाकर 1,25,000/- रुपये की मांग करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक पिस्टल .32 बोर बरामद।

दिनांक 14.09.2024 को वादी श्री लक्ष्मण पुत्र श्री संतोष सिंह नि0 जे 3,11 संगम विहार दिल्ली ने सूचना दी कि मेरे दोस्त आकाश पुत्र शम्भू नि0 सेवा सदर संगम विहार नई दिल्ली को आकाश पुत्र अजय नि0 बुराडी दिल्ली व उसके साथियों ने ओयो होटल मुरादनगर में बंधक बना रखा है और उससे 1,25,000/- रुपये की मांग कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुंसगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी। तत्पश्चात थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडित आकाश झा उपरोक्त को बरामद कर बंधक बनाने वाले 04 अभियुक्तों 1. दीपक पुत्र रामजी लाल नि0 ग्राम बखरबा मोदीनगर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद 2. आकाश पुत्र अजय कुमार नि0 संत नगर बुराडी थाना तिमारपुर दिल्ली 3. संजय पुत्र शेखर नि0 हनुमानपुरी मोदीनगर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद 4. तरूण पुत्र राजेन्द्र नि0 गढ़ी हरसरू गुड़गांव सेक्टर 10 थाना सेक्टर 10 हरियाणा को ओयो होटल रायल आर्बिट इन मनोटा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आकाश पुत्र अजय उपरोक्त के कब्जे से एक पिस्टल .32 बोर बरामद की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि आकाश पुत्र शम्भू को हम पहले से जानते थे। हम लोग आनलाइन गेमिंग कर पैसे कमाते हैं, आकाश पुत्र शम्भू भी आनलाइन गेमिंग कर पैसे कमाता है। हमें पैसे की जरूरत थी और हमें पता चला था कि आकाश पुत्र शम्भू के एकाउन्ट में पैसे हैं तो हम चारों ने आकाश पुत्र शम्भू को ओयो होटल लेकर आये थे और फिर हम चारों ने इसे बंधकर बनाकर इससे 1,25,000/- रुपये की मांग करने लगे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. दीपक पुत्र रामजी लाल नि0 ग्राम बखरबा मोदीनगर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष
2. आकाश पुत्र अजय कुमार नि0 संत नगर बुराडी थाना तिमारपुर दिल्ली, उम्र करीब 26 वर्ष
3. संजय पुत्र शेखर नि0 हनुमानपुरी मोदीनगर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष
4. तरूण पुत्र राजेन्द्र नि0 गढ़ी हरसरू गुड़गांव सेक्टर 10 थाना सेक्टर 10 हरियाणा, उम्र करीब 25 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के सम्बंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

एक पिस्टल .32 बोर बरामद

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा 02 शातिर पशु चोर गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वाहन (छोटा हाथी), रस्सा व घटना से संबंधित 9120/- रूपये आदि बरामद।

दिनांक 07.09.2024 को थाना निवाड़ी पर वादी श्री रामजीलाल पुत्र रतिराम निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना निवाड़ी ने तहरीर दी कि कल दिनांक 06.09.24 की रात्रि मे अभियुक्तगण 1.आरिफ 2. सलमान द्वारा वादी के घर से पशु चोरी कर ले गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया।

थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस की मदद से आज दिनांक 14.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर पशु चोर 1.आरिफ पुत्र यामीन उर्फ मोटा हाल निवासी सिवालखास थाना जानी जनपद मेरठ स्थाई नि0 ग्राम खिवाई थाना सुरुरपुर जनपद मेरठ व 2. सलमान उर्फ मुजफ्फर पुत्र यामीन उर्फ मोटा हाल निवासी सिवालखास थाना जानी जनपद मेरठ मूल निवासी खिवाई थाना सरुरपुर जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वाहन (छोटा हाथी) व रस्सा, घटना से संबंधित 9120/- रूपये बरामद हुए। अभियुक्तों के अन्य फरार साथियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है, आवश्यक वैधानिक कार्वयाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 06.09.2024 की रात्रि को हम लोगो ने अपने अन्य साथी नईम, साजिद, मौहम्मद अहमद व गुलसाद के साथ मिलकर ग्राम खिन्दौडा में एक घेर से दो भैंस व एक कटरा चोरी किया था, लेकिन चोरी करते वक्त एक भैंस चल नही पा रही थी तो हम लोग उसे जंगल में ही छोडकर चले आये थे और एक भैंस व कटरा को अपने घर ग्राम सिवालखास ले आये थे। उसके बाद मौहम्मद अहमद, नईम तथा साजिद तीनो लोग उनको सुबह ही इसी नीले रंग के छोटा हाथी में लादकर बेचने के लिए कहीं ले गए थे जिन्हे बेचने के बाद उन लोगो ने हम लोगो को दस - दस हजार रुपये दिए थे जिनमें से कुछ

पैसे हमने खर्च कर लिये है। आज हम सब लोग फिर से किसी घटना कारित करने की फिराक में घूम रहे थे कि आपने पकड लिया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.आरिफ पुत्र यामीन उर्फ मोटा हाल निवासी सिवालखास थाना जानी जनपद मेरठ स्थाई नि0 ग्राम खिवाई थाना सुरुरपुर जनपद मेरठ, उम्र करीब 21 वर्ष,
2. सलमान उर्फ मुजफ्फर पुत्र यामीन उर्फ मोटा हाल निवासी सिवालखास थाना जानी जनपद मेरठ मूल नि0 ग्राम खिवाई थाना सरुरपुर जनपद मेरठ उम्र करीब 24 वर्ष,

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त आरिफ उपरोक्त के विरुद्ध थाना जानी जनपद मेरठ में बल्वे का 01 अभियोग पंजीकृत है,
अभियुक्त सलमान उपरोक्त के विरुद्ध जनपद बागपत में चोरी / बरामदगी के 07 अभियोग, थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर मे 03 अभियोग डकैती, हत्या का प्रयास, पुलिस मुटभेड तथा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ मे 02 अभियोग अवैध गांजा व अवैध हथियार तथा जनपद गाजियाबाद में चोरी,मारपीट,डकैती की योजना से सम्बन्धित कुल 03 अभियोग पंजीकृत है, अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

घटना मे प्रयुक्त वाहन (छोटा हाथी) व रस्सा, कपडे का टुकडा, घटना से संबंधित 9120 रूपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 14.09.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त हनीफ पुत्र नाथू उर्फ नत्थू निवासी नियर पीर रजा मस्जिद मुस्तफाबाद थाना लोनी, उम्र वर्ष 47 को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसका एक संगठित गिरोह है जो अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध रुप से गौकशी जैसे अन्य अपराध कारित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता-

हनीफ पुत्र नाथू उर्फ नत्थू निवासी नियर पीर रजा मस्जिद मुस्तफाबाद थाना लोनी, उम्र वर्ष 47

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर गौवध अधि0, गैंगस्टर एक्ट, धारा- भादवि 188के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 14.09.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त फैय्याज पुत्र फरीद निवासी अमन गार्डन अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र वर्ष 20 को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसका एक संगठित गिरोह है जो अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध रुप से धन लाभ अर्जित करने के लिये गौकशी, पशुक्रूरता, अवैध असलाह रखना जैसे अन्य अपराध कारित कर आर्थिक लाभ अर्जित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता-

फैय्याज पुत्र फरीद निवासी अमन गार्डन अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र वर्ष 20

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर धारा-307 भादवि, गोवध अधिनियम व आयुध अधिनियम के अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की स्कूटी व ई-रिक्शा बरामद।

दिनांक 13.09.2024 को थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद से 02 शातिर वाहन चोर अभियुक्तों 1. इमरान उर्फ माइकल पुत्र खलीक निवासी अमन गार्डन अमन की कोठी वाली गली अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष 2. निजामुददीन उर्फ छोटू पुत्र यामीन निवासी मलिक सिटी सोनू के स्कूल के पास अशोक विहार लोनी गाजियाबाद

उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से चोरी की स्कूटी व ई-रिक्शा बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब हम दोनों ने कुछ दिन पहले ये स्कूटी व ई-रिक्शा को दिल्ली से चोरी किया था। इस स्कूटी व ई-रिक्शा को हम दोनों बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. इमरान उर्फ माइकल पुत्र खलीक निवासी अमन गार्डन अमन की कोठी वाली गली अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष

2. निजामुददीन उर्फ छोटू पुत्र यामीन निवासी मलिक सिटी सोनू के स्कूल के पास अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त वाहन चोरी के संबंध में दिल्ली में 02 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना लोनी पर चोरी के वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

चोरी की एक स्कूटी व एक ई-रिक्शा बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 14.09.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम फतिहाबाद निठौरा थाना लोनी गाजियाबाद उम्र वर्ष 33 को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसका एक संगठित गिरोह है जो अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध रुप से धन लाभ अर्जित करने के लिये कूट रचित जाली दस्तावेज बनाकर धोखाधडी करना जैसे अन्य अपराध कारित कर आर्थिक लाभ अर्जित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता-

अशोक कुमार पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम फतिहाबाद निठौरा थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र वर्ष 33

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर धोखाधड़ी के 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 14.09.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित फैसल उर्फ फैजल पुत्र प्यार मोहम्मद निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र 37 वर्ष को घोडा गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण/पूर्व की कार्यवाही

अभियुक्तों द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर धोखाधड़ी व कूट रचना कर जमीन का फर्जी पावर आफ अटार्नी बनवाना व लोगों से पैसे हड़प लेना व पैसे वापस मांगने पर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना लोनी पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

फैसल उर्फ फैजल पुत्र प्यार मोहम्मद निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद, उम्र 37 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग, धोखाधड़ी के 04 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना ट्रोनिका सिटी पर धोखाधड़ी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम